



भारतीय कपास निगम लिमिटेड THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

(भारत सरकार का उपक्रम - वस्त्र मंत्रालय) रुडा बिल्डिंग, पाँच वी मंजिल, जामनगर रोड- राजकोट- 360001

(A Govt. of India Undertaking - Ministry of Textiles)

Ruda Building 5th Floor, Jamnagar Road, RAJKOT-360001

Telephone No 2441629/2477560. GRAM: "COTCORPIND". Fax No. 0281-2458621

E-mail: rajkot@cotcorp.com Web site: <http://www.cotcorp.gov.in>, www.ministryoftextiles.gov.in



दिनांक : 25.01.2012

पुनः टेण्डर नोटिस

निगम शाखा कार्यालय राजकोट के अधीनस्थ केन्द्रों/गोदामों से निर्यात हेतु कालंबोली(नवी मुंबई), कंडला पोर्ट, मुन्द्रा पोर्ट एवं पिपावाव पोर्ट तथा आंतरिक विक्रय हेतु एन.टी.सी एवं विभिन्न मिलों तक रूई की गांठों के परिवहन हेतु पुनः टेण्डर आमंत्रित करता है। टेण्डर फॉर्म, नियम व शर्तों का प्रोफॉर्मा निगम के कार्यालय से कार्य दिवस पर कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक ट्रान्सपोर्टर्स जिनकी 8.00 लाख रुपये की बैंक गारंटी निगम के किसी भी कार्यालय में जमा है या जमा करवाना चाहते हैं, निर्धारित फॉर्म पर टेण्डर दिनांक 06.02.2012 को दोपहर 03:00 बजे तक के भीतर बंद लिफाफे में शाखा कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस टेण्डर की दरें दिनांक 06.02.2012 से 31.03.2012 तक लागू रहेंगी। टेण्डर उसी दिन दिनांक 06.02.2012 को दोपहर 3:30 बजे उपस्थित ट्रान्सपोर्टर्स के समक्ष खोले जायेंगे व निगम किसी भी टेण्डर का आंशिक / पूर्ण रूप से स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अपना अधीकार सुरक्षित रखता है।

निविदा संबंधी टेण्डर फॉर्म, नियम एवं शर्तों की पूर्ण जानकारी हमारी वेबसाइट www.cotcorp.gov.in एवं www.tenders.gov.in पर भी उपलब्ध है।

उप महा प्रबंधक



भारतीय कपास निगम लिमिटेड

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

(भारत सरकार का उपक्रम - वस्त्र मंत्रालय) रूडा बिल्डिंग,, पाँच वी मंजिल, जामनगर रोड- राजकोट- 360001

(A Govt.of India Undertaking-Ministry of Textiles)

Ruda Building 5th Floor, Jamnagar Road, RAJKOT-360001

Telephone No 2441629/2477560. GRAM: "COTCORPIND". Fax No. 0281-2458621

E-mail: rajkot@cotcorp.com Web site: <http://www.cotcorp.gov.in>, www.ministryoftextile.gov.in



टेण्डर फॉर्म नंबर

:

पुनःटेण्डर फॉर्म जारी करने की दिनांक

:25.01.2012

पुनःटेण्डर फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम दिनांक

:06.02.2012 सुबह 12:00 बजे तक

पुनःटेण्डर प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक

:06.02.2012 दोपहर 3:00 बजे तक

पुनःटेण्डर खोलने की दिनांक

:06.02.2012 दोपहर 3:30 बजे

रूई की गांठों के परिवहन कार्य का फॉर्म वर्ष 2011-2012 अवधि 06.02.2012 से 31.03.2012 तक

1. ट्रान्सपोर्ट का नाम, पत्ता एवं टेलीफॉन नंबर :
2. ट्रान्सपोर्ट के साझेदारों का नाम :
3. ट्रान्सपोर्टर के प्रतिनिधि का नाम :
4. बैंक का नाम व गारंटी संख्या :
5. बैंक गारंटी की वैधता दिनांक :
6. सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन नंबर
(फोटोप्रति फॉर्म के साथ संलग्न करें) :
7. स्थाई पत्ता व दूरभाष संख्या :
8. PAN नंबर
(फोटोप्रति फॉर्म के साथ संलग्न करें) :
9. स्वयं के ट्रको की संख्या तथा
अनुबंधित ट्रको की संख्या :

हस्ताक्षर एवं पदनाम व स्टॉम्प के साथ

दिनांक :

स्थान :

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, राजकोट (गुजरात)

दिनांक : 25.01.2012

रुई की गांठे प्रेषित करने एवं टेण्डर भरने के लिये शर्तें

निगम अपने विभिन्न केन्द्रों/गोदामों से निर्यात हेतु कालंबोली(नवी मुंबई), कंडला पोर्ट, मुन्द्रा पोर्ट एवं पिपावाव पोर्ट के लिये तथा आंतरिक विक्रय के लिए एन.टी.सी एवं विभिन्न मिलों तक रुई गांठों के परिवहन के लिये मुहर बंद टेन्डर आमंत्रित करता है। टेन्डर इस कार्यालय में दिनांक 06.02.2012 को दोपहर 3.00 तक सीलबंद लिफाफे में जिसके उपर रुई की गांठों के परिवहन हेतु टेन्डर लिखा हुआ पहुंच जाना चाहिए। निर्धारित समय के बाद प्राप्त टेन्डर पर विचार नहीं किया जायेगा। टेन्डर उसी दिन दोपहर 3.30 बजे उपस्थित ट्रान्सपोर्टर्स / टेन्डर्स दाता या प्रतिनिधि के समक्ष खोले जायेंगे। टेन्डर की शर्तें निम्नलिखित हैं :

1. परिवहक प्रतिष्ठित होना चाहिए और कपास गांठों का हैंडलींग / कपास गांठों के लिये पैकिंग सामग्री का अनुभव होना चाहिए। परिवहक का नेटवर्क एक से अधिक राज्यों में होना चाहिए।
2. परिवहक को वाहक प्रोफाइल के साथ सहकारी बैंक को छोड़कर किसी राष्ट्रीय / अनुसूचित बैंक के निर्धारित प्रोफॉर्मा में आठ लाख रुपये की बैंक गारन्टी प्रस्तुत करनी होगी। परिवहक अपनी बैंक से अनुरोध करेगा की बैंक गारन्टी को पंजीकृत ङाक से निगम को सीधे भेजा जाये। बैंक गारन्टी टेन्डर खोलने की तिथि से मान्य तथा लागू समय तक वैध होनी अनिवार्य है।
3. सभी गांठें ट्रान्सपोर्टर्स को सडक परिवहन द्वारा ही भेजनी पडेगी। यह किसी भी कारणवश सडक के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से नहीं भेजी जा सकती। इसके लिए ट्रान्सपोर्टर को अपनी न्यूनतम दर प्रति गांठ देनी पडेगी। ट्रान्सपोर्टर द्वारा दी गई प्रति गांठ में लोडिंग / अनलोडिंग व अन्य उचित खर्च (इन्सीडेंटल खर्च) शामिल होंगे एवं जिसमें सर्विस टेक्स सामिल न हो। तथापि जहां कहीं अपर लोडिंग चार्ज लागू होगा उसका वहन ट्रान्सपोर्टर द्वारा किया जायेगा। लदाई तथा उतराई खर्च का भुगतान परिवहक द्वारा केन्द्र पर लागू दरों के अनुसार करना होगा। ट्रान्सपोर्टर द्वारा टेण्डर में एक बार भरी गई दर फाईनल मानी जायेगी और निगम इस टेण्डर की अवधि के दौरान किसी भी ट्रक यूनियन द्वारा रेट बढ़ाये जाने पर, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल, टायर व अन्य कलपूरजों के रेट बढ़ाने या कोई टेक्स पर जिम्मेवार नहीं होगा। उस हाल में भी ट्रान्सपोर्टर उन्हीं दरों पर काम करने के लिए बाध्य होगा। अतः टेण्डर में एक बार भरी गई दर समस्त अवधि के दौरान किसी भी कारणवश तब्दील नहीं की जा सकती।

4. गांठे द्वार प्राप्ति (डोर डिलीवरी) के आधार पर बुक की जायेगी । दिये गये केन्द्रों से गांठे उठाकर गंतव्य स्थान का पता, जो भी हो पहुँचानी होगी । यदि गंतव्य स्थान पर पहुँच कर गांठों की डिलीवरी देने का स्थान बदल दिया जाता है तो ऐसी हालत में 50 किलोमीटर तक की डाईवर्शन के लिए ट्रान्सपोर्टर को कोई डाईवर्शन चार्ज नहीं दिया जायेगा ।
5. गांठे गंतव्य स्थान पर ट्रको के पहुँचने की प्राथमिकता के आधार पर उतरवाई जायेगी । जो ट्रक पहले पहुँचेंगा, उसको पहले उतारा जायेगा । ऐसी हालत में अगर ट्रक लाइन लंबी हो जाती है तो ट्रान्सपोर्टर्स को कोई रिटेंशन चार्ज नहीं दिया जायेगा ।
6. डी. ओ. जारी होने के पश्चात् ट्रान्सपोर्टर्स को 48 घंटो में गांठे भिजवाने की व्यवस्था करनी होंगी तथा गांठों की डिस्पैच के तुरन्त पश्चात् ट्रान्सपोर्टर्स को जी.आर. नंबर व गांठों का विवरण तुरन्त दिन शाखा कार्यालय राजकोट को सूचित करना होगा ।
7. गांठों के लदान व परिवहन के दौरान ट्रान्सपोर्टर्स गांठों की पूरी निगरानी रखेंगा व संभालेगा । परिवहन के दौरान गांठें तिरपालों से ढंकी होनी चाहिये । किसी भी कारणवश परिवहन के दौरान गांठों को होने वाली हानि के लिए ट्रान्सपोर्टर्स स्वयं जिम्मेदार होगा ।
8. ट्रको की हालत अच्छी होनी चाहिए । अगर ट्रकों में पहले लादा कोयला या अन्य रसायन पदार्थ लगा हो तो ट्रकों की पूरी तरह सफाई करवाकर ही गांठें लोड की जायें ।
9. प्रत्येक ट्रान्सपोर्टर्स को प्रति सप्ताह एक स्टेटमेंट (तालिका) भेजनी अनिवार्य होंगी जिसमें लॉट नंबर, गांठों की संख्या, लॉरी रशीद नंबर और डिस्पैच की तिथि स्टेशन जिसको भेजी गई उसका नाम अंकित होना चाहिये ।
10. गांठो की निकासी डी.ओ. प्राप्ति की दिनांक से 2 दिन के अन्दर संबंधित केन्द्र से करवाकर निम्नानुसार गंतव्य स्थान पर पहुँचानी होगी, अन्यथा 2 रूपये प्रति गांठ प्रति दिन की पैनाल्टी ट्रान्सपोर्टर के बिल से काटी जायेगी ।

गंतव्य स्थल	डी. ओ. की तारीख से 1000 गांठो तक	डी. ओ. तारीख से 1000 गांठो से अधिक
महाराष्ट्र	अधिकतम 08 दिन	अधिकतम 10 दिन
गुजरात	अधिकतम 05 दिन	अधिकतम 07 दिन
लुधियाणा (पंजाब)	अधिकतम 10 दिन	अधिकतम 15 दिन
बदी (हिमाचल प्रदेश)	अधिकतम 10 दिन	अधिकतम 15 दिन
अन्य स्थान	अधिकतम 10 दिन	अधिकतम 15 दिन

11. दरें 06.02.2012 से 31.03.2012 तक के लिए मान्य होंगे ।
12. सीलबंद टेन्डर एक बंद लिफाफे में निगम के पत्ते पर भेजना होगा । लिफाफे पर स्पष्ट तौर पर ट्रान्सपोर्टर का नाम व यह लिखा होना अनिवार्य है **"रुई की गांठो के परिवहन हेतु टेन्डर"**
13. यदि दो या दो से अधिक ट्रान्सपोर्टर्स एक ही प्रकार की न्यूनतम दरें भरते हैं तो निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि वह किसी ट्रान्सपोर्टर को / या आनुपातिक आधार पर कार्य दें अथवा उसी समय दोबारा से दरें लेकर, न्यूनतम दर वाले को कार्य दिया जा सकता है ।
14. कोई भी टेन्डर या सभी टेन्डर या उसका कोई भाग बिना कारण बतायें टेन्डर कमिटी द्वारा रद्द किया जा सकता है ।
15. टेन्डरी फॉर्म में दर्शायी गयी सभी शर्तों के फलस्वरूप यदि कोई विवाद, शक या शंका उत्पन्न होती है तो यह निगम के सक्षम अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में होंगा की उसका क्या निर्णय लिया जावे । ऐसी हालत में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होंगा, किसी प्रकार की कानूनी विवाद के निपटारे के लिये **अधिकार क्षेत्र न्यायालय राजकोट** होगा ।
16. गांठे लक्षित स्थान पर अच्छी हालत में और उसी जी.आर. के आधार पर सुपुर्द की जानी चाहिए । यातायात के दौरान किसी भी लॉट में अन्य लॉट की गांठो की मिलावट नहीं होनी चाहिए । गांठे सामान्य तौर पर लदान होने के पश्चात् सीधे ही गंतव्य स्थान पर पहुँचानी अनिवार्य होगी । गांठो को एक बिंदु से दूसरे बिंदु के आधार पर बीच में किसी ट्रान्सशिपमेन्ट के बगैर प्रेषण करना होगा । किसी कारणवश संभव न हो तो एक से ज्यादा ट्रान्सशिपमेन्ट की अनुमति नहीं होगी ।

17. एक ट्रक में सामान्यतः एक ही लॉट की गांठे लॉड की जायेगी । यदि संभव न हो तो दो लॉट से ज्यादा एक ट्रक में मिक्स नहीं कि जायेगी । यदि दो से अधिक लॉट्स की गांठे मिक्स पायी गयी तो 20/- रूपये प्रति गांठ के हिसाब से दण्ड लगेगा ।
18. अन्य किसी कारण से यदि गांठे टु बी बिल्ट के आधार पर भेजी जाती है तो टु बी बिल्ट जाने वाली गांठो का भुगतान बिल प्रेषित के 15 दिन के अंदर किया जायेगा । चैक पोस्ट (नाका पोस्ट) पर चुंगी की अदायगी ट्रान्सपोर्टर्स को नियमानुसार करनी होगी और चुंगी की रशीद प्रस्तुत किये जाने पर भुगतान कर दिया जायेगा । परिववाहक द्वारा राज्य में ट्रक के साथ लागू आवश्यक कागजात (फार्म्स) की व्यवस्था की जाएगी ताकि मार्ग में ट्रकों के किसी प्रकार की रूकावट से बचा जा सके ।
19. एन.टी.सी. के लिए परिववाहन भाडे का भुगतान एन.टी.सी. मिल के कार्यालय में पूरे ब्यौरे के साथ बिल की प्राप्ति पर मिल द्वारा किया जाएगा ।

निर्यात की गई गाँठो के संदर्भ में :

प्रत्यक बिल से 5% कटौती की जायेगी जिसका भुगतान निर्यात हेतु भेजी गयी सभी गाँठो की प्राप्ति की सूचना उपरान्त किया जायेगा । टु बी बिल्ट परिवहन भाडे का भुगतान कार्यालय में पूरे ब्यौरे के साथ बिल की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के अन्दर या बिल की किसी विसंगति की स्थिति में बिल के परिशोधन की तारीख से 15 दिन के अन्दर किया जाएगा ।

स्त्रोत पर आयकर (टी.डी.एस.) की कटौती नियमानुसार की जाएगी ।

20. अगर आवश्यक हो, तो गाँठो के डिस्पैच के तुरन्त बाद परिववाहक द्वारा संबंधित पार्टी को मार्गस्थ बीमा (ट्रांजिट इन्शयोरेन्स) कवर करने के लिए तार भेजा जायेगा ।
21. परिववाहक द्वारा गाँठो की डिलीवरी पानेवाले (कनसाईनी) के निर्देश के अनुसार देनी होगी ।
22. टेन्डर में भरी हुई दरें स्पष्ट होनी चाहिए, जो दरें स्पष्ट नहीं होंगी वह दरें रद्द समझी जाएगी । फैक्स या ई-मेल की कोपी मान्य होगी । टेन्डर भरनेवाले ट्रान्सपोर्टरो द्वारा उपरोक्त शर्तें ध्यान में लेनी चाहिए । एक बार टेन्डर भरने के बाद यह माना जायेगा की ट्रान्सपोर्टर ने इस फॉर्म में दी गई सभी शर्तें पढली है व इन शर्तों को मानते है और इन शर्तों के अंतर्गत कार्य करनेके लिये तैयार व बाध्य है । ट्रान्सपोर्टर द्वारा टेन्डर में अलग से यदि कोई अपनी शर्त दी जाती है तो यह निगम को किसी कभी हालत में मान्य नहीं होगी ।

23. यदी रास्ते में कोई दुर्घटना / अग्नि दुर्घटना या अन्य घटना हो जाती है तो प्रिलिमिनरी सर्वे कराये बिना वहाँ से ट्रक तथा साल्वेज को तब तक न हटायें जायें जब तक की सर्वे द्वारा सर्वे का काम पूरा नहीं कर लिया जाता है । ट्रान्सपोर्टर का यह भी दायित्व होगा की आवश्यकता पड़ने पर वह प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) / फायर ब्रिगेड रिपोर्ट / नोन डिलिवरी सर्टिफिकेट व पंचनामा आदी की कॉपी प्रस्तुत करें । ट्रान्सपोर्टर्स द्वारा एफ.आई.आर. में अग्नि / दुर्घटना में शामिल गाँठो की विवरणी तथा संख्या की रिपोर्ट निश्चित रूप से दर्ज करानी होगी । क्षति संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र एवं कार्यवाही ट्रान्सपोर्टर द्वारा तुरन्त करनी होगी तथा उसकी सूचना शाखा कार्यालय राजकोट को भी तुरन्त देनी होंगी अन्यथा सारी जिम्मेदारी ट्रान्सपोर्टर की ही होगी ।
24. परिवाहक द्वारा जी.आर. में पूरा ब्यौरा, जैसे कन्साईनी (पाने वाले) का नाम, लॉट संख्या, किस्म, पी.आर. नंबर, गाँठो की संख्या, ट्रक नंबर, डी.ओ. नंबर, तारीख, अनुबंध संख्या आदि अनिवार्य आदि अनिवार्य रूप से देनी होगी । ट्रान्सपोर्टर द्वारा पूरे लॉट की मूल बिलटी/जी.आर. जिस पर प्राप्तकर्ता के मोहर सहित हस्ताक्षर हो प्रस्तुत करने परही भुगतान किया जायेगा (जी.आर. की फोटो कॉपी मान्य नहीं होंगी) ।
25. केवल बैंक गारन्टेड ट्रान्सपोर्टरों के शाखा कार्यालय, राजकोट क्षेत्र से संलग्न सूची अनुसार विभिन्न स्थानों पर गाँठो को पहुँचाने के लिये टु पे / टु बी बिल्ड टेन्डर मांगे जाते है ।
26. बैंक गारन्टेड ट्रान्सपोर्टर वे ही माने जायेंगे जिन्होंने निगम के किसी भी कार्यालय में **रु. 8 लाख की बैंक गारन्टी दी हुई है** । टेन्डर फाइनल करते समय ट्रान्सपोर्टर को निगम के उस कार्यालय का पत्र व बैंक गारन्टी की फॉटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।
27. ट्रान्सपोर्टर अपना कार्यालय राजकोट में रखने की व्यवस्था करेगा । जहाँ उसे डी.ओ. सोंपने की सूचना दी जा सके । टेन्डर भरने वाले ट्रान्सपोर्टर की दिनांक 31.03.2012 तक की बैंक गारन्टी विधिमान्य (**Valid**) होनी चाहिये । यदि किसी ट्रान्सपोर्टर की बैंक गारन्टी अवधि बीच में समाप्त होती है तो उसका नवीनीकरण करवाकर निगम के पास पुनः एक सप्ताह में जमा करवानी होगी अन्यथा उन्हें आबंटित किया गया कार्य निरस्त किया जा सकता है ।

28. बिलो से टी.डी.एस सरचार्ज व अन्य कर यदि कोई हो तो तत्कालिन नियमानुसार कांटा जायेगा ।
29. ट्रान्सपोर्टर दरें भरते समय इस बात का ध्यान रखें की उनके द्वारा दी गई दरें सर्विस टेक्स सामिल करके न हो । उन्हें सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रमाणपत्र की फोटो कॉपी भी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा । साथ ही कन्साईन्मेन्ट नोट में अन्य जानकारी के साथ साथ यह भी साफ रूप से लिखा जाये की सर्विस टेक्स के भुगतान के लिये कन्साईनर उत्तरदायी होगा ।
30. किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद होने पर निगम द्वारा नियुक्त आर्बीट्रेटर (जो कि निगम का कर्मचारी नहीं होगा) को विवाद के निर्णय हेतु मामला सुपुर्द किया जायेगा और उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा व आर्बीट्रेटर, आर्बीट्रेशन व रिकन्सीलेशन एक्ट 1996 के प्रोविज़न के अंतर्गत साशित होगा ।
31. टेन्डर पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के संबंध में ट्रान्सपोर्टर द्वारा अपने लेटर पेड पर संलग्न प्रोफ़ोर्मा अनुसार ओथोरिटी पत्र टेन्डर फॉर्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
32. जिन परिवहन कर्ताओं की न्युनत्तम दरे निगम द्वारा स्वीकृत की जाएगी, उन्हे निगम के साथ 100/- (सौ रुपये) के स्टेम्प पेपर पर निगम द्वारा दिये गये प्रोफ़ोर्मा में टेन्डर फाइनल होने की दिनांक से 15 दिनो में परिवाहन अनुबंध करना होगा जिसका खर्च परिवाहक को वहन करना होगा । परिवहन कार्य परिवहन कर्ताओं द्वारा कथित अनुबंध प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आबंटित किया जायेगा ।
33. ट्रान्सपोर्टर द्वारा यदि निर्धारित अवधि में गांठे नहीं उठायी जाती है तो दोषी होने पर यह कार्य किसी अन्य ट्रान्सपोर्टर से प्रचलित मार्केट दर के अनुसार करवाया जायेगा व उससे निगम को होने वाली क्षतीपूर्ति की वसूली संबंधित मूल ट्रान्सपोर्टर से की जायेगी ।
34. टेन्डर भरने वाले ट्रान्सपोर्टर द्वारा स्वयंमेव यह माना जायेगा की उसने टेन्डर संबंधी सभी शर्तें ध्यानपूर्वक पढ ली है व उनका पालन करने के लिये बाध्य है । ट्रान्सपोर्टर टेन्डर संबंधी शर्तों पर अपने हस्ताक्षर व स्टेम्प के साथ टेन्डर फॉर्म के साथ लौटाये ।
35. केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा समस्त प्रकार के लागू होने वाले टेक्स की संपूर्ण जिम्मेदारी परिवहन कर्ता की होगी ।

36. कार्य की आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम दर वाले परिवहन कर्ता की दरों पर कार्य अन्य परिवहन कर्ताओं को देने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेंगा ।
37. कर में छुट का सर्टिफिकेट परिवहनकर्ता को इस टेन्डर फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा तथा उसकी वैधता भी स्पष्ट अंकित होना चाहिये ।
38. एन.टी.सी. मिलों के संदर्भ में गांठे डी.ओ. की तारीख से 10 दिनों के अंदर गंतव्य स्थान पर पहुंच जानी चाहिए अन्यथा विलंब अवधि के लिये प्रति गांठ / प्रति दिन रू. 5/- की दर से सामान्य परिस्थितियों में जुर्माना (अर्थ दंड) वसूल किया जायेगा ।
39. गांठो के परिवहन संबंधित कार्य में दोषी होने पर यदि निगम को कोई आर्थिक नुकसान होता है तो ट्रान्सपोर्टर द्वारा दी गई बैंक गारन्टी कैश करवा ली जायेगी, नुकसान राशि बैंक गारन्टी से अधिक होने पर बकाया राशि की वसूली निगम परिवाहक से करने का हकदार होगा तथा ट्रान्सपोर्टर्स को ब्लेक लिस्ट करते हुए कानूनी कार्यवाई की जा सकती है ।
- 40 इस अनुबंध के अधिन जारी किये गये सभी डी.ओ. को एक ही अनुबंध का ही भाग समझा जायेगा । किसी डी.ओ. का काम करने में असफल होने पर, परिणामस्वरूप निगम को कोई हानी होती है या किसी डी.ओ. के विरुद्ध किसी प्रभार से वसूली का कारण बनता है, तब इन प्रकार की हानियों या वसूलियों को 18 % ब्याज के साथ इस अनुबंध के अधिन जारी किसी अन्य डी.ओ. से अथवा निगम की किसी अन्य शाखा द्वारा ट्रान्सपोर्टर के देय राशि मेसे / साथ समायोजन किया जायेगा ।
41. गांठे लोडिंग करने से पहले सुनिश्चित किया जाये कि सभी गांठो की पैकिंग योग्य है । सभी गांठो की पत्ती ठिक ढंग से लगी है और कोई भी गांठ खुली/खुलने की हालत में नहीं है । हैसियन/क्लोथ की सिलाई ढंग से की गई है । गांठे उठाने के समय परिवाहक को अपनी कंपनी के लेटरपेड पर गांठे सही स्थिति में ली गई है ऐसा प्रमाणपत्र लिखकर देना होगा ।
42. यदि एक ही लॉट की गांठे दो अलग-अलग तिथियों में पहुँचती है तो बाद में पहुँची गांठो की तिथी ही पूरे लॉट के लिये मान्य होगी ।

43. यदि टेन्डर फॉर्म में टेन्डरकर्ता के हस्ताक्षर नहीं होंगे तो उसका टेन्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा।
44. यदि टेन्डर फॉर्म के साथ नियम एवं शर्तें निविदाकर्ता द्वारा संलग्न नहीं किया हो या हस्ताक्षरित न होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि निविदाकर्ता ने नियम एवं शर्तें पढ़ली है एवं उसे मंजूर है।

मैने निगम की शर्तें पढ़ली है, जो मूझे मान्य है।

हस्ताक्षर -----

ट्रान्सपोर्टर का नाम -----



निर्यात के लिए भेजी जानेवाली गाँठों के लिए अतिरिक्त शर्तें

1. गाँठे लॉडिंग करने से पहले सुनिश्चित किया जाये कि सभी गाँठों की पैकिंग योग्य है। सभी गाँठों की पत्ती ठिक ढंग से लगी है और कोई भी गाँठ खुली/खुलने की हालत में नहीं है। क्लोथ की सिलाई ढंग से की गई है। गाँठे उठाने के समय परिववाहक को अपनी कंपनी के लेटरपेड पर गाँठे सही स्थिति में ली गई है ऐसा प्रमाणपत्र लिखकर देना होगा।
2. गाँठों की लॉडिंग डी. ओ. के अनुसार लॉट वार होनी चाहिए और एक ट्रक में 2 लॉट से अधिक की गाँठे लॉड नहीं होनी चाहिये व गाँठे सीधी गोदाम में पहुँचनी चाहिए।
3. डी.ओ. प्राप्ति के दूसरे ही दिन गाँठे उठवाने हेतु संबंधित केन्द्र / गोदाम पर ट्रक अनिवार्य रूप से भेजनी होगी।
4. गाँठों की निकासी डी.ओ. प्राप्ति की दिनांक से दो दिन के अंदर संबंधित केन्द्र से करवाकर निम्नानुसार गंतव्य स्थान पर पहुँचानी होगी अन्यथा रू. 10/- प्रति गाँठ प्रतिदिन की पेनाल्टी ट्रान्सपोर्टर के बिलो/अन्य बकाया राशि से काटी जायेगी।

डी. ओ. प्राप्ति	1500 गाँठों तक डी. ओ. प्राप्ति दिनांक से	1500 से अधिक गाँठों पर डी.ओ. प्राप्ति दिनांक से
कालंबोली(नवी मुम्बई) के लिये	3 दिन अधिकतम (रविवार और छुट्टी का दिन छोड़कर)	5 दिन अधिकतम (रविवार और छुट्टी का दिन छोड़कर)
कंडला पोर्ट के लिए	3 दिन अधिकतम (रविवार और छुट्टी का दिन छोड़कर)	5 दिन अधिकतम (रविवार और छुट्टी का दिन छोड़कर)
मुन्द्रा पोर्ट के लिए	3 दिन अधिकतम (रविवार और छुट्टी का दिन छोड़कर)	5 दिन अधिकतम (रविवार और छुट्टी का दिन छोड़कर)
पिपावाव पोर्ट के लिए	3 दिन अधिकतम (रविवार और छुट्टी का दिन छोड़कर)	5 दिन अधिकतम (रविवार और छुट्टी का दिन छोड़कर)

5. ट्रान्सपोर्टर को जारी किये गये डी. ओ. के समक्ष न्यूनतम 1500 गाँठे प्रति दिन विभिन्न भंडारण स्थान / केन्द्र से उठानी होगी।
6. किन्ही विशेष परिस्थितियों में परिवहन कार्य अधिक होने की दशा में एक से अधिक ट्रान्सपोर्टर को अनुपातिक कार्य भी दिया जा सकता है। जिस परिववाहक की सम्बन्धित गन्तव्य स्थान हेतु न्यूनतम दर प्राप्त होती है को L-1 माना जायेगा तथा उसे परिवहन कार्य का 60% कार्य आबंटित किया जायेगा तथा शेष 40% कार्य L-2 को दिया जायेगा बशर्ते वह L-1 द्वारा दी गयी दरों पर कार्य करने हेतु तैयार हो। यदि L-2 परिववाहक L-1 द्वारा दी गयी दरों पर कार्य करने को इच्छुक नहीं है तो समस्त कार्य L-1 को ही आबंटित किया जायेगा।
7. यदि निर्धारित परिवहनकर्ता के द्वारा गाँठे समय पर नहीं उठाई जाती है तो निगम किसी अन्य परिवहनकर्ता के द्वारा कार्य का संपादन करायेगा तथा अतिरिक्त खर्च की वसुली एल-1, एल-2 की प्रतिपूर्ति राशि से की जायेगी।

8. ट्रान्सपोर्टर को प्रति दिन एक स्टेटमेन्ट (तालिका) भेजनी अनिवार्य होगी जिसमें लॉट नंबर, गांठों की संख्या, केन्द्र का नाम, लॉरी नंबर, लॉरी रशीद नंबर, डी. ओ. प्राप्ति की तिथि और डिस्पेच की तिथि, स्टेशन जिसको भेजी गई उसका नाम अंकित होना चाहिए ।
9. गांठों के लदान व परिवहन के दौरान ट्रान्सपोर्टर्स गांठों की पूरी निगरानी रखेंगा व संभालेगा । परिवहन के दौरान गांठें तिरपालों से ढंकी होनी चाहिये । किसी भी कारणवश परिवहन के दौरान गांठों को होने वाली हानि के लिए ट्रान्सपोर्टर्स स्वयं जिम्मेदार होगा ।
10. ट्रकों की हालत अच्छी होनी चाहिए । अगर ट्रकों में पहले लादा कोयला या अन्य रसायन पदार्थ लगा हो तो ट्रकों की पूरी तरह सफाई करवाकर ही गांठें लोड की जायें ।
11. प्रत्येक ट्रान्सपोर्टर्स को प्रति सप्ताह एक स्टेटमेंट (तालिका) भेजनी अनिवार्य होंगी जिसमें लॉट नंबर, गांठों की संख्या, लॉरी रशीद नंबर और डिस्पैच की तिथि स्टेशन जिसको भेजी गई उसका नाम अंकित होना चाहिये ।

मैने निगम की शर्तें पढली है, जो मूझे मान्य है ।

हस्ताक्षर -----

ट्रान्सपोर्टर का नाम -----

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय - राजकोट

टेन्डर फॉर्म

दिनांक 06.02.2012 से 31.03.2012 तक

ट्रान्सपोर्टर का नाम एवं पता -----

राजकोट का पता -----

फोन / फैक्स/ मोबाईल नं: -----

क्रम	जिला राजकोट के सभी केन्द्र से	दर प्रति गांठ लॉडींग/अनलॉडींग के साथ TO PAY	जिला जामनगर के सभी केन्द्र से	दर प्रति गांठ लॉडींग/अनलॉडींग के साथ TO PAY
	गंतव्य स्थान		गंतव्य स्थान	
1	अकोला		अकोला	
2	औरंगाबाद		औरंगाबाद	
3	हिंगणघाट		हिंगणघाट	
4	कोल्हापूर		कोल्हापूर	
5	बार्शी		बार्शी	
6	मुंबई		मुंबई	
7	चालीशगाँव		चालीशगाँव	
8	धुले		धुले	
9	नांदेड		नांदेड	
10	कोयम्बतूर		कोयम्बतूर	
11	पोंडीचेरी		पोंडीचेरी	
12	मदुराई		मदुराई	
13	तिरुपुर		तिरुपुर	
14	अहमदाबाद		अहमदाबाद	
15	कोलम (केरला)		कोलम (केरला)	
16	कलईयारकोली		कलईयारकोली	
17	परमाकुडी		परमाकुडी	
18	राजापलायम		राजापलायम	
19	त्रिसूर		त्रिसूर	
20	पुलाची (केरल)		पुलाची (केरल)	
21	माहे		माहे	
22	अलगप्पानगर		अलगप्पानगर	

हस्ताक्षर -----

ट्रान्सपोर्टर का नाम -----

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय - राजकोट

टेन्डर फॉर्म

दिनांक 06.02.2012 से 31.03.2012 तक

ट्रान्सपोर्टर का नाम एवं पता -----

राजकोट का पता -----

फोन / फैक्स/ मोबाईल नं: -----

क्रम	जिला जूनागढ के सभी केन्द्र से	दर प्रति गांठ लॉडींग/अनलॉडींग के साथ TO PAY	जिला पोरबंदर के सभी केन्द्र से	दर प्रति गांठ लॉडींग/अनलॉडींग के साथ TO PAY
	गंतव्य स्थान		गंतव्य स्थान	
1	अकोला		अकोला	
2	औरंगाबाद		औरंगाबाद	
3	हिंगणघाट		हिंगणघाट	
4	कोल्हापूर		कोल्हापूर	
5	बार्शी		बार्शी	
6	मुंबई		मुंबई	
7	चालीशगाँव		चालीशगाँव	
8	धुले		धुले	
9	नांदेड		नांदेड	
10	कोयम्बतूर		कोयम्बतूर	
11	पोंडीचेरी		पोंडीचेरी	
12	मदुराई		मदुराई	
13	तिरुपुर		तिरुपुर	
14	अहमदाबाद		अहमदाबाद	
15	कोलम (केरला)		कोलम (केरला)	
16	कलईयारकोली		कलईयारकोली	
17	परमाकुडी		परमाकुडी	
18	राजापलायम		राजापलायम	
19	त्रिसूर		त्रिसूर	
20	पुलाची (केरल)		पुलाची (केरल)	
21	माहे		माहे	
22	अलगप्पानगर		अलगप्पानगर	

हस्ताक्षर -----

ट्रान्सपोर्टर का नाम -----

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय - राजकोट

टेन्डर फॉर्म

दिनांक 06.02.2012 से 31.03.2012 तक

ट्रान्सपोर्टर का नाम एवं पता -----

राजकोट का पता -----

फोन / फैक्स/ मोबाईल नं: -----

क्रम	जिला अमरेली के सभी केन्द्र से	दर प्रति गांठ लॉडींग/अनलॉडींग के साथ TO PAY	जिला भावनगर के सभी केन्द्र से	दर प्रति गांठ लॉडींग/अनलॉडींग के साथ TO PAY
	गंतव्य स्थान		गंतव्य स्थान	
1	अकोला		अकोला	
2	औरंगाबाद		औरंगाबाद	
3	हिंगणघाट		हिंगणघाट	
4	कोल्हापूर		कोल्हापूर	
5	बार्शी		बार्शी	
6	मुंबई		मुंबई	
7	चालीशगाँव		चालीशगाँव	
8	धुले		धुले	
9	नांदेड		नांदेड	
10	कोयम्बतूर		कोयम्बतूर	
11	पोंडीचेरी		पोंडीचेरी	
12	मदुराई		मदुराई	
13	तिरुपुर		तिरुपुर	
14	अहमदाबाद		अहमदाबाद	
15	कोलम (केरला)		कोलम (केरला)	
16	कलईयारकोली		कलईयारकोली	
17	परमाकुडी		परमाकुडी	
18	राजापलायम		राजापलायम	
19	त्रिसूर		त्रिसूर	
20	पुलाची (केरल)		पुलाची (केरल)	
21	माहे		माहे	
22	अलगप्पानगर		अलगप्पानगर	

हस्ताक्षर -----

ट्रान्सपोर्टर का नाम -----

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय - राजकोट

टेन्डर फॉर्म

दिनांक 06.02.2012 से 31.03.2012 तक

ट्रान्सपोर्टर का नाम एवं पता -----

राजकोट का पता -----

फोन / फैक्स/ मोबाईल नं: -----

क्रम	जिला सुरेन्द्रनगर के सभी केन्द्र से	दर प्रति गांठ लॉडींग/अनलॉडींग के साथ TO PAY	जिला कच्छ के सभी केन्द्र से	दर प्रति गांठ लॉडींग/अनलॉडींग के साथ TO PAY
	गंतव्य स्थान		गंतव्य स्थान	
1	अकोला		अकोला	
2	औरंगाबाद		औरंगाबाद	
3	हिंगणघाट		हिंगणघाट	
4	कोल्हापूर		कोल्हापूर	
5	बार्शी		बार्शी	
6	मुंबई		मुंबई	
7	चालीशगाँव		चालीशगाँव	
8	धुले		धुले	
9	नांदेड		नांदेड	
10	कोयम्बतूर		कोयम्बतूर	
11	पोंडीचेरी		पोंडीचेरी	
12	मदुराई		मदुराई	
13	तिरुपुर		तिरुपुर	
14	अहमदाबाद		अहमदाबाद	
15	कोलम (केरला)		कोलम (केरला)	
16	कलईयारकोली		कलईयारकोली	
17	परमाकुडी		परमाकुडी	
18	राजापलायम		राजापलायम	
19	त्रिसूर		त्रिसूर	
20	पुलाची (केरल)		पुलाची (केरल)	
21	माहे		माहे	
22	अलगप्पानगर		अलगप्पानगर	

हस्ताक्षर -----

ट्रान्सपोर्टर का नाम -----

**भारतीय कपास निगम लिमिटेड,
शाखा कार्यालय - राजकोट**

निर्यात में भेजी जानेवाली गाँठो के लिए परिवहन निविदा फॉर्म

**दर प्रति गाँठ लॉडींग/अनलॉडींग के साथ (रूपये)
टेण्डर अवधि दिनांक 06.02.2012 से 31.03.2012 तक**

गंतव्य स्थान	जिला राजकोट के सभी केन्द्र से	जिला जामनगर के सभी केन्द्र से	जिला जूनागढ के सभी केन्द्र से	जिला पोरबंदर के सभी केन्द्र से	जिला अमरेली के सभी केन्द्र से	जिला भावनगर के सभी केन्द्र से	जिला सुरेन्द्रनगर के सभी केन्द्र से	जिला कच्छ के सभी केन्द्र से
	To be Billed	To be Billed	To be Billed	To be Billed	To be Billed	To be Billed	To be Billed	To be Billed
कालंबोली (नवी मुंबई)								
कंडला पोर्ट								
मुन्द्रा पोर्ट								
पिपावाव पोर्ट								

आंतरिक विक्रय के लिये :-

**दर प्रति गाँठ लॉडींग/अनलॉडींग के साथ (रूपये)
टेण्डर अवधि दिनांक 06.02.2012 से 31.03.2012 तक**

गंतव्य स्थान	जिला राजकोट के सभी केन्द्र से	जिला जामनगर के सभी केन्द्र से	जिला जूनागढ के सभी केन्द्र से	जिला पोरबंदर के सभी केन्द्र से	जिला अमरेली के सभी केन्द्र से	जिला भावनगर के सभी केन्द्र से	जिला सुरेन्द्रनगर के सभी केन्द्र से	जिला कच्छ के सभी केन्द्र से
	To be Billed	To be Billed	To be Billed	To be Billed	To be Billed	To be Billed	To be Billed	To be Billed
लुधीयाणा (पंजाब)								
बदी (हिमाचल प्रदेश)								

1. मैने निगम की संलग्न नियम एवं शर्ते पढ ली है ।
2. परिवहन दरों में लॉडिंग / अनलॉडिंग शामिल है ।
3. यह दरें दिनांक 06.02.2012 से 31.03.2012 तक लागू है ।

ट्रान्सपोर्टर का नाम, हस्ताक्षर एवं सील

स्थान : -----

दिनांक : -----

(To be given on the printed letter head of the transporter)

To,
The Branch Manager,
The Cotton Corporation of India Ltd.,

Sub: **Authority letter for negotiation / finalization of transportation rate and capacity for Cotton Season 2011-2012.**

Sir,
We hereby authorised Shri_____

(Name) _____ (Designation) on behalf of M/s.
_____ negotiation and finalization of
Transportation rate for Season 2011-2012.

Further, we submit that we are sole proprietor / partnership / limited company and we have full authority to authorizes Shri _____ our representative whose specimen signature as given herebelow.

(_____)
Specimen Signature

We agree to all terms and conditions of the Tender.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Signature of the authorized Signatory)

Name & Designation : _____

Name of the Transporter : _____

Seal of the Transporter: _____



भारतीय कपास निगम लिमिटेड THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

(भारत सरकार का उपक्रम - वस्त्र मंत्रालय) रुडा बिल्डिंग,, पाँच वी मंजिल, जामनगर रोड- राजकोट- 360001

(A Govt. of India Undertaking-Ministry of Textiles)

Ruda Building 5th Floor, Jamnagar Road, RAJKOT-360001

Telephone No 2441629/2477560. GRAM: "COTCORPIND". Fax No. 0281-2458621

E-mail: rajkot@cotcorp.com Web site: <http://www.cotcorp.gov.in>, www.ministryoftextiles.gov.in



सं.भाकनि/राज/विपणन/विक्रय/परिवहन/2011-2012/

दिनांक: 25.01.2012

मेसर्स

.....

.....

विषय : गांटो के परिवहन दरों के पुनः टेन्डर के संदर्भ में ।

महोदय,

हम इस पत्र के साथ हमारे विभिन्न केन्द्रों से विभिन्न स्टेशनों पर गांठे परिवहन हेतु टेन्डर फॉर्म, नियम व शर्तों संबंधी जानकारी संलग्न कर भेज रहे हैं । आप निर्धारित नियमों व शर्तों के अंतर्गत टेन्डर निर्धारित प्रोफॉर्मा में भरकर दिनांक 06.02.2012 को दोपहर 03.00 बजे तक सीलबंद लिफाफे में जिस पर "रुई की गांटो के परिवहन कार्य हेतु टेन्डर" लिखा हो, प्रस्तुत करें । निर्धारित अवधि व समय के पश्चात् प्राप्त टेन्डरों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । कृपया टेन्डर लिफाफे पर अपना पूर्ण पता व दूरभाष नंबर भी अवश्य लिखें । टेन्डर दिनांक 06.02.2012 को दोपहर 03.30 बजे खोले जाएंगे । इस टेन्डर की दरें दिनांक 06.02.2012 से 31.03.2012 तक लागू रहेंगी ।

निविदा संबंधी टेन्डर फॉर्म व शर्तों की पूर्ण जानकारी हमारे वेबसाइट www.cotcorp.gov.in पर एवं www.tenders.gov.in भी उपलब्ध है ।

सधन्यवाद,

भवदीय,
कृते, भारतीय कपास निगम लिमिटेड,

(विशाल के. सिन्हा)
उप महा प्रबंधक

संलग्न : यथोपरि